

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़

संख्या : नाइलिट/चण्डीगढ़/ प्रशासन/73/2022/15338

दिनांक : 15-07-2022

कार्यालय आदेश

सभी विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि अपने-अपने विभागों में निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करे:

1. अपने संबंधित विभागों में रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ हिन्दी भाषा में होनी चाहिए।
2. केन्द्र सरकार के विभागों/राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी भाषा में दिए जाएं ।
3. 50% टिप्पणियाँ हिन्दी भाषा में की जाएं।
4. 'क' और 'ख' क्षेत्र के विभागों के साथ 90% पत्राचार हिन्दी भाषा में हो ।
5. 'ग' क्षेत्र के विभागों के साथ 55% पत्राचार हिन्दी भाषा में हो ।
6. कार्यालय आदेश द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) में जारी करें।

यह कार्यालय आदेश कार्यकारी निदेशक, नाइलिट चण्डीगढ़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

राकेश भारती

राकेश भारती

(हिन्दी अधिकारी)

प्रतिलिपि :

1. कार्यकारी निदेशक कार्यालय
2. वैज्ञानिक 'एफ' / वैज्ञानिक 'ई'
3. सतर्कता अधिकारी
4. समस्त संबंधित अधिकारी
5. श्रीमती सुमन (तकनीकी अधिकारी)- से कार्यालय आदेश को नाइलेट चण्डीगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. सूचना पट

**NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
CHANDIGARH**

NIELIT/CH/ADMN/73/2022/15338


DATE: 15-07-2022

OFFICE ORDER

All head of departments are requested to ensure compliance of the following in their concerned departments.

1. Transaction Entries in Hindi Language in the register maintained in the Department.
2. All the letters received from the Central/State Government Departments, Union Territories are replied to be in Hindi Language.
3. 50% of Noting in Hindi language.
4. 90% of Correspondence to Regions 'A' and 'B' in Hindi Language.
5. 55% of Correspondence to Region 'C' in Hindi Language.
6. Issuance of office order in Bilingual (English and Hindi).

This issues with the approval of Executive Director, NIELIT Chandigarh.


Rakesh Bharti
(Hindi Officer)

Copy to :

1. Executive Director's Office
2. Scientist 'F'/Scientist 'E'
3. Vigilance officer
4. Concerned officials
5. Ms. Suman (TO) - with the request to upload the office order on NIELIT Chandigarh's website.
6. Notice Board